कार्यालय जिलाधिकारी, बॉदा

पत्रांक /दैवी आपदा–शीतलहरी दिनांक : नवम्बर 29,2017

अल्प कालीन निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आलोच्य वर्ष 2017–18 में शासनादेश –1651/1–10–2017–12(34)/03टी0सी0–1 दिनांक 16 नवम्बर 2017 के द्वारा अत्याधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से प्रभावित गृहविहीन, निराश्रित, असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित ब्यक्तियों के बचाव हेतु शासन द्वारा कम्बल क्रय किये जाने हेतु धनावंटन उपलब्ध कराया गया है ।

उक्त प्रयोजनार्थ इस कार्यालय द्वारा मु0 25.00 लाख रु0 के कम्बल क्रय किये जाने है । उक्त कम्बल क्रय किये जाने हेतु **दिनांक 05–12–2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सील बन्द निविदायें अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बॉदा के कार्यालय में आमत्रित की जाती है । निविदा उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी ।** न्यूनतम् दर वाली निविदा देने वाली फर्म/संस्था को पॉच दिन के अन्दर सम्पूर्ण कम्बलो की आपूर्ति निर्दिष्ट स्थानों पर पहुचाकर करनी होगी । निविदा के सम्बन्ध में शर्ते निम्न प्रकार है

1– निविदा के साथ कम्बल का नमूना भी सील बन्द करके प्रस्तुत करना होगा जिसमें फर्म/संस्था का पूर्ण पता फोन नम्बर भी अभिलिखित होगा ।

2– आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से0मी0 चौड़ाई 140सेवमी0 तथा बजन कम से कम से 2 किलो 200 ग्राम होना चाहिये । इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशतऊन होनी चाहिये तथा पुराने यार्न का प्रयोग कतई नही होना चाहिये ।

3– कम्बल की कीमत रु0 500/–रु0 (मु0 पॉच सौ रु0) से अधिक नही होनी चाहिये ।

4– आपूर्तक संस्था/फर्म को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस सम्बन्धित संस्था का नाम, कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं बजन का विवरण होगा तथा यह भी अंकित होगा **कि " कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है जो बिक्री योग्य नही है"।**

5– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–8/2026/ 548/18–2–2016 –12 (एस0पी0)2010 दिनांक 12 अगस्त 2016 में निहित निर्देशे का अनुपालन सुनिश्चित सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है

6– आपूर्तक द्वारा नमूना में उपलब्ध कराये गये कम्बल के अनुरुप ही जनपद में कम्बलों की आपूर्ति करेगा, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

7– कम्बलों की आपूर्ति जनपद की मुख्यालय अथवा तहसील मुख्यालय पर स्वीकृति संस्था/फर्म द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत करना अनिवार्य है जिसका ब्यय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

8– आपूर्तिकर्ता फर्म/संस्था को भुगतान हेतु बैंकपास बुक की छाया प्रति संलग्न करनी होगी जिसम खाता नम्बर, आई एफ एस सी नम्बर स्पष्ट हो ।

उक्त के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कार्यालय दिवस पर आकर सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है ।

अपर जिलाधिकारी, (वि/रा)
बॉदा

पृ0प0सं0 713 /दै0आ0–कम्बल, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिव एवं राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ

2–जिलाधिकारी महोदय बॉदा को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

3–जिलाधिकारी जनपद हमीरपुर,महोबा,चित्रकूट,फतेहपुर, झॉसी एवं कानपुर नगर

4–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद बॉदा को नाटिस बोर्ड में चस्पा एवं प्रचार प्रसार हेतु ।

5–सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बॉदा

6–श्री गॉधी आश्रम बॉदा, अतर्रा, नरैनी बबेरु द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार

7–प्रबन्धक यूपिका शो रुम शंकर सदन बॉदा

8–विनोबा ग्रामोद्योग विकास संस्थान डिग्गी चौराहा बॉदा

9–जिला सूचनाधिकारी बॉदा को 10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से कि सभी समाचार पत्रों मे उक्त का निशुल्क प्रकाशन जनहित में कराना सुनिश्चित करे ।

10–नाजिर सदर कलेक्ट्रेट बॉदा को नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु

अपर जिलाधिकारी, (वि/रा)
बॉदा